कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी,फर्रूखाबाद।

संख्या 6820/आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 13, जुलाई, 2014

प्रेस विज्ञप्ति

जिले में विद्युत विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर घर–घर में कनेक्शन देने, पहले से कनेक्शन पर आवश्यकतानुसार भार क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं और उनकी रोज समीक्षा की जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपयोग करने वालों को सलाह दी जाती है कि वह अपने वास्तविक भार क्षमता का कनेक्शन लें, यदि कनेक्शन नहीं है तो नया कनेक्शन लें और अभियान को सफल बनायें। अभियान के बाद यदि जिले के किसी भी क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से बिजली का प्रयोग पाया जायेगा तो उनके विरूद्व जुर्माना के अलावा विद्युत चोरी अपराध का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जायेगा।

सुविधा के तौर पर सभी उपभोक्ताओं को अवगत कराया जाता है कि यदि नया कनेक्शन वर्ष 2011 के बाद का है तो प्रति किलोवाट भार क्षमता रू0 1050/–देना होगा, यदि वर्ष 2011के पहले का है तो 1220/– और यदि कनेक्शन 15 साल पुराना है तो प्रति किलोवाट भारवृद्दि का शुल्क 1310/– होगा। इसी तरह बी0पी0एल0 परिवारों के लिए एक किलोवाट का नया कनेक्शन रू0 1460–00, यदि बी0पी0एल0 परिवार नहीं है और गरीब है तो रू0 2000–00 भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त दो किलोवाट कनेक्शन के लिए रू0 2650–00 निर्धारित दर है।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल कानपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिंणाचल विद्युत वितरण निगम लि0 आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3– अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत ग्रामीण व नगर क्षेत्र को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
4– जिला सूचना अधिकारी फर्रूखाबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति का जनहित में निशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करायें।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।